

"राजस्व लोक अदालत अभियान-2015"

पटवारी हल्का पटवार मंडल उर्फ फल

पृ. 30

14/7/15

श्रीमान् तहसीलदार महोदय,
गंगापुर सिटी ।

विषय :- जमाबंदी ग्राम उर्फ फल संवत् 2069-72 के खाता संख्या-461
में हिस्सा दर्ज करने बावत्।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम उर्फ फल पटवार हल्का उर्फ फल के खाता संख्या
461 संवत् 2069-72 की खातेदारी वाबूलाल भगवानलाल पि. मनोहरलाल
के

नाम दर्ज है। उक्त खाता में दर्ज प्रविष्टियों में खातेदारों के मध्य हिस्सा दर्ज नहीं है। अतः खाता
संख्या 461 में खातेदारों के मध्य वाबूलाल पुत्र मनोहरलाल पि. 1/2 भगवानलाल

पुत्र मनोहरलाल पि. 1/2

हिस्सा दर्ज किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट श्रीमान् जी की सेवामें पेश है।

पटवारी हल्का उर्फ फल

14/7/15
उर्फ फल

जॉच भू अभिलेख निरीक्षक

रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन किया गया। जमाबंदी की प्रविष्टियों की जॉच की गई।
पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार संवत् 2069-72 खाता संख्या 461 में खातेदारों के मध्य

वाबूलाल पुत्र मनोहरलाल पि. 1/2 भगवानलाल पुत्र मनोहरलाल
पि. 1/2

अनुसार हिस्सा दर्ज किया जाना उचित है।

भू अभिलेख निरीक्षक, उर्फ फल

14/7/15

कार्यालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी

क्रमांक-रा0लो0अदा0/15/

दिनांक- 14/7/15

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं जॉच रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक सह खातेदारों के मध्य
जमाबंदी संवत् 2069-72 के खाता संख्या-461 में रिपोर्ट के अनुसार संशोधन किया जाना उचित
है।

मु. अ. 2
तहसीलदार
गंगापुर सिटी

लोक अदालत कैम्प उदेरकला

14-7-78 हल्का पटवारी ने ग्राम उदेरकला "स" में जमाबंदी से
2069-72 में खालसि 461 में दर्ज खारेदारों का हिस्सा दर्ज करने का
विषय (विशेष) I.L.R. व तहसीलदार गंगपुर सिटी में भी उक्त खालसे
दर्ज खारेदारों का $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ हिस्सा दर्ज करने की सिफारिश की है। अतः
तहसीलदार गंगपुर सिटी की सिफारिश के आधार पर ग्राम उदेरकला में
की जमाबंदी से 2069-72 में खालसि 461 में दर्ज खारेदारों का हिस्सा $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$
हिस्सा दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पालन हेतु तहसीलदार गंगपुर सिटी
को लिखा जाये।

उप जिला कलेक्टर
गंगपुर सिटी
कैम्प उदेरकला

न्यायालय उपखण्ड, अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प उदेई कलॉ

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी उदेई कलॉ भू.अ.नि. गंगापुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार गंगापुर सिटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम उदेई कलॉ 'स' तहसील गंगापुर सिटी व जिला सवाई माधोपुर की जमाबन्दी सम्वत 2069-72 में खाता संख्या 461 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

कं. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकोर्ड में दर्ज की जानी है)
1	उदेई कलॉ 'स'	461	बाबूलाल भगवानलाल पि. मनोहरलाल	बाबूलाल पि. मनोहरलाल हि. 1/2 भगवानलाल पि. मनोहरलाल हि. 1/2 (खाते में दर्ज अन्य प्रविष्टियाँ यथावत रहेगी ।)

(मुनिदेव यादव)

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा.कलेक्टर गंगापुर सिटी

दिनांक:- 14 जुलाई 2015

क्रमांक:- 1015-17

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार गंगापुर सिटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. रक्षित पत्रावली।

(मुनिदेव यादव)

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा.कलेक्टर गंगापुर सिटी

24
14/7/15